न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/37 दर्ज तिथिः–20.01.2025

1. नानगा पुत्र मोटा
2. नथा पुत्र मोटा
3. गजरों पत्नी मोटा
4. पूनमा पुत्र ताजा
5. मगा पुत्र ताजा
6. गवरी पत्नी ताजा
7. लिखमाराम पुत्र दीपाराम
8. देवाराम पुत्र दीपाराम
9. भेराराम पुत्र दीपाराम
10. नाबालिग जूंजाराम पुत्र लालाराम
11. नाबालिग भोमाराम पुत्र लालाराम
12. नाबालिग तुलसी पुत्री लालाराम
    प्रार्थी संख्या 10 ता 13 नाबालिग की कुदरती संरक्षक वलीया माता कमलादेवी पत्नी लालाराम
13. कमलादेवी पत्नी लालाराम
    जाति जाट साकिन मंगले की बेरी पटवार मण्डल मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—15.05.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः—
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 58, 89, 59, 90 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
   - कि उक्त खसरान के सहमति से विभाजन पश्चात् प्रार्थी संख्या 01 ता 03 की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 59 / 2 / 5.2771 है0, 89 / 0.0971 है0, 90 / 1 / 1.7078 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
   - कि इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 04 ता 06 की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 58 / 0.0243 है0, 59 / 7.0577 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
   - कि इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 07 ता 14 की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 90 / 7.0820 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
   - कि प्रार्थीगण के उक्त खसरा संख्या 58, 89, 59, 90 मौजा मंगले की बेरी का सहमति से विभाजन तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेशांक / भू.अ. / 2010 / 1218 दिनांक 28.12.2010 की पालना में आपसी सहमति से हुआ। जिसका उक्त आदेशानुसार नामांतरकरण पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। परंतु विभक्त खसरों का राजस्व नक्शा में तरमीम सहमति से विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नहीं की गई। जिससे मौके व वर्तमान राजस्व नक्शा में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 58, 89, 59, 90 मौजा मंगले की बेरी का माफिक विभाजन प्रस्ताव एवं वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू—नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 337 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
   1. कि आराजी के मूल खसरे से बने हाल खसरों की तरमीम सहखातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्ताव / नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम के अनुसार सही अंकित की गई है। परंतु मौका कब्जा आंशिक भिन्न है।

2. कि आराजी के मूल खसरों से बने हाल खसरों की तरमीम को सहखातेदारों के मध्य आपसी मौका कब्जा अनुसार करने पर हाल खसरान का रकबा प्रभावित होता है।
3. कि प्रकरण तरमीम शुद्धि योग्य नहीं है।

6. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 337 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—अ के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार सही अंकित की गई है। परंतु प्रार्थीगण का मौके पर राजस्व नक्शे में अंकित तरमीम अनुसार कब्जा नहीं है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार सही अंकित की गई है। जिसको उक्त आवेदन पत्र के जरिये तरमीम प्रार्थीगण के मौका कब्जा अनुसार किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन दिनांक 28.12.2010 में अंकित तरमीम अनुसार ही वर्तमान राजसव रिकॉर्ड में तरमीम की गई है। इस प्रकार यह प्रकरण गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने का नहीं होकर काश्तकारों के मध्य भूमि का विनिमय कर चकबंदी का प्रकरण है। पक्षकार उक्तानुसार भूमि का विनिमय कर चकबंदी की कार्यवाही करने हेतु स्वंतत्र हैं। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested